फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला जयपुर

वादी–कल्याण

प्रतिवादी–हजारी व अन्य

केस संख्या : 192/2014 **वाद बाबत घोषणा,इन्द्राज दुरूस्ती,तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा**

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	07.06.2018		

–:निर्णय:–

आज यह पत्रावली 'न्याय आपके द्वार' राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में पेश हुई।

वकील वादी एवं प्रतिवादी उप0। पैरोकार राज0 उप0।

वकील वादी ने निवेदन किया कि आराजीयात खसरा नंबर 968, 972/2, 991, 990/1, 1326/908/3, 973, 973/4 कुल किता 7 कुल रकबा 13 बीघा 1 बिस्वा ग्राम सेहदरिया, तहसील फागी, जिला जयपुर की आराजीयात में वादी का 1/6 हिस्सा निहित है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी के आराजीयात गलत दर्ज हो रखी है, न्यायहित में वादी को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने राजीनामा प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। राजीनामा पक्षकारान ने मुख्यतः यह तथ्य वर्णित किये है कि विवादित आराजी में हजारी व रामेश्वर के हिस्से में वादी की खातेदारी भूमि जो अधिक नाम लगी हुई है उसको दुरूस्त कर कल्याण के नाम खातेदारी भूमि लगा दी जावे। गुल्लाराम के हिस्से से कल्याण को भूमि नहीं लेना है। वादी वाद डिक्री फरमाया जावे।

वकील वादी ने प्रार्थना पत्र बाबत नाम हजफ प्रतिवादी संख्या 3 प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली पर बहस सुनी गई। बाद बहस मनन प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया गया।

पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी, जवाबदावा, राजीनामा वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2, शपथ पत्र कालूराम पुत्र नाथूराम, कल्याण पुत्र नारायण, श्योजीराम पुत्र छगना इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि आराजीयात में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का हक हिस्सा निहित है।

चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने राजीनामा के माध्यम से वादी वाद स्वीकार कर राजीनामानुसार वाद डिक्री किये जाने में अपनी पूर्ण सहमति प्रकट की है, न्यायहित में वादी वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी वाद राजीनामानुसार स्वीकार कर डिक्री किया जाकर खसरा नंबर 968, 972/2, 991, 990/1, 1326/908/3, 973, 973/4 कुल किता 7 कुल रकबा 13 बीघा 1 बिस्वा ग्राम सेहदरिया, तहसील फागी, जिला जयपुर की आराजीयात में वादी कल्याण को 1/2 हिस्से, प्रतिवादी संख्या 1 हजारी को 22/261 हिस्से, प्रतिवादी संख्या 2 रामेश्वर को 173/1044 एवं प्रतिवादी संख्या 3 गुल्लाराम को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट दौसरा में सुनाया गया।

(उपखण्ड अधिकारी)

Scanned by CamScanner